अनुक्रमणिका

क्र. स.	विषय/पहल	प्रष्ठ स.
	प्रस्तावना	2
(क)	प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण **(16)**	3-9
(ख)	राष्ट्रीय स्तर की तीन नई बहु राज्यीय सहकारी समितियाँ **(3)**	9-11
(ग)	सहकारी समितियों के लिये आयकर कानून में राहत **(6)**	11-12
(घ)	सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण **(2)**	12-13
(ङ)	सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान **(5)**	13-15
(च)	सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण **(12)**	15-16
(छ)	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार **(2)**	16-17
(ज)	जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल **(1)**	17-18
(झ)	नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस **(2)**	18
(ञ)	सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण **(2)**	18-19
(ट)	अन्य पहलें **(5)**	19-22
(ठ)	क्रियान्वयन प्रक्रिया	22

सहकार से समृद्धि

प्रस्तावना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। इस नवगठित मंत्रालय के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने अल्पकालिक समय में सहकारिता क्षेत्र को जीवंत एवं सशक्त बनाने हेतु अनेक पहलें एवं ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की है।

सहकारिता आंदोलन को मज़बूती प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 56 मुख्य पहलें की हैं जिनसे देश की सहकारी समितियों को अपने आर्थिक विकास एवं विस्तार की नई संभावनाएँ मिल रही हैं। इस पुस्तिका के माध्यम से इन पहलों पर संक्षिप्त में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है जो सहकारिता क्षेत्र के हितधारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी ।

(क)प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढीकरण

1. पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मानना है कि पैक्स जब बहु-उद्देशीय होंगी तभी वो और अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होंगी। इसके लिए उनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संघो एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात तैयार की गई एवं 05 जनवरी 2023 को परिचालित की गई। इससे PACS/ LAMPS की आय के स्रोत बढ़ेंगे और लगभग 25 से अधिक नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अब तक, 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आदर्श उपविधियों को अपना लिया है या उनकी मौजूदा उपविधियां आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं।

2.पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण

PACS की कार्य कुशलता को बढाने के लिए पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत की गई। इस पहल के अंतर्गत क्रियात्मक PACS/ LAMPS को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से NABARD के साथ लिंक किया जा रहा है। अभी तक 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 67,930 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हार्डवेयर खरीद, डिजिटाइजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने हेतु राज्यों को कुल 700.42 करोड़ रुपये और NABARD को 165.92 करोड़ रुपये की वित्तीय राशि प्रदान की जा चुकी है। राज्यों द्वारा हार्डवेयर की खरीद एवं सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के पश्चात कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ हो जाएगा। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विश्वास है कि इससे PACS में पारदर्शिता आएगी जिससे लोगों की पैक्स में विश्वसनीयता बढेगी। 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा हार्डवेयर खरीदा जा चुका है। कुल 44,054 PACS को ERP सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है और 33,910 PACS लाइव हो गए हैं। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18,000 PACS के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का उद्घाटन किया।

3.प्रत्येक पंचायत / गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 फरवरी, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना में अगले 5 वर्षों में सभी पंचायतों/ गावों को कवर करने हेतु नई बहु-उद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां गठित किये जाने का लक्ष्य है। यह योजना नाबार्ड, NDDB, NFDB व राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है,

जिसमें इन प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं का अभिसरण करना शामिल है। योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं, जैसे कि अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति। योजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु 19.9.2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) भी जारी की गई है, जिसमें संबंधित हितधारकों के लक्ष्य, समयसीमा, भूमिका और जिम्मेदारियां दर्शाई गई हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 10,825 नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 31 मई, 2023 को कैबिनेट द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना को पायलट के रूप में शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत पैक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से विभिन्न प्रकार की कृषि अवसंरचनाएं, जैसे कि गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य दुकान, इत्यादी का निर्माण किया जाना शामिल है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस योजना पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, अनाज की होने वाली बर्बादी में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी एवं पैक्स स्तर पर ही कृषि सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 11 PACS में गोदामों का उद्घाटन किया गया एवं 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम निर्माण की आधारशिला रखी गई।

5. ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स

सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दिनांक 02.02.2023 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, जिससे पैक्स अब CSC द्वारा दी जाने वाली 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो गई हैं। ऑनबोर्ड हुए पैक्स को एनसीसीटी द्वारा CSC-SPV एवं नाबार्ड के समन्वय से प्रशिक्षण भी

प्रदान किया जा रहा है। अब तक, 41,075 पैक्स CSC के रूप में कार्य करना शुरु कर चुकी हैं और इन पैक्स द्वारा रु. 60 करोड़ से अधिक का लेन-देन किया जा चुका है। इस पहल का उद्घाटन माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 21 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से किया गया। देश में कम्प्यूटरीकृत की जा रही सभी क्रियाशील पैक्स/ लैम्प्स के माध्यम से CSC सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।

6.पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन **(FPOs)**का गठन

एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। अब पैक्स FPO के रूप में कृषि सम्बंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होंगी। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी । इस परियोजना का उद्घाटन माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 14 जुलाई, 2023 को IECC, प्रगति मैदान, नई दिल्ली से किया गया। NCDC द्वारा सहकारी क्षेत्र में अब तक कुल 1,642 FPO का गठन किया जा चुका है। यह किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करने और उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायक होगा।

7.पैक्स की **LPG** डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता

पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियाँ बढाने हेतु माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय संकल्पित भाव से कार्य कर रहा है। पैक्स को LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्र बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे अब पैक्स LPG का वितरण भी कर सकेंगी। झारखंड राज्य से 2 पैक्स ने LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए CC केटेगरी में आवेदन किया है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढाने का मौका मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।

8.पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने की अनुमति

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने के लिए सहमति दी है। इस पहल

के तहत, बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने हेतु एकमुश्त विकल्प दिया गया है। अब तक 4 राज्यों के 109 थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में रूपांतरण के लिए सहमति दी है, जिनमें से 45 पैक्स को ओएमसी से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हो चुके हैं इस प्रावधान से पैक्स के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

9.पैक्स को नये पेट्रोल/डीज़ल पंप डीलरशिप में प्राथमिकता

पेट्रोल/डीज़ल रिटेल डीलरशिप के लिए भी पैक्स को प्राथमिकता दी जा रही है। तेल विपणन कंपनियों (OMC)/ पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पैक्स को OMC द्वारा जारी विज्ञापनों के आधार पर Combined Category 2 (CC-2) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु गाइडलाइन्स जारी किये चुके हैं। अब तक 25 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 286 से अधिक पैक्स/ लैंप्स ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इस पहल से पैक्स के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

10.ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स

6 जून, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ आयोजित बैठक में पैक्स द्वारा प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालन का निर्णय लिया गया। इससे ग्रामीण/ ब्लॉक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी और पैक्स को आय के अतिरिक्त स्त्रोत मिलेंगे। इच्छुक पैक्स को चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा उन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है । जन औषधि केंद्र हेतु 34 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 4,482 पैक्स/सहकारी समितियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, जिनमें से 2,715 पैक्स को PMBI द्वारा प्राथमिक अनुमोदन भी दिया जा चुका है। इनमें से 768 पैक्स को राज्य औषधि नियंत्रकों से दवा लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं, जिसमें से 696 पैक्स को PMBI से स्टोर कोड प्राप्त हो चुके हैं और वे जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

11.पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र **(**पीएमकेएसके**)** के रूप में उन्नयन

6 जून, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ आयोजित बैठक में, पहले से उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में कार्यरत पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के रूप में उन्नयन (Upgradation) करने का निर्णय लिया गया। पैक्स को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया। इससे पैक्स के लिए

व्यवसाय के नये अवसर सृजित होंगे तथा उनके मुनाफे में वृद्धि होगी। भारत सरकार के उर्वरक विभाग तथा राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 36,180 पैक्स को PMKSK में अपग्रेड किया जा चुका है; शेष में कार्य प्रक्रिया जारी है।

12.नाबार्ड के सहयोग से बैंक मित्र सहकारी समितियों को **Micro-ATMs**

डेयरी और मत्स्यपालन जैसी सहकारी समितियों को भी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का बैंक मित्र बनाया गया है। इन बैंक मित्र सहकारी समितियों के लिए व्यापार में सुगमता, पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु नाबार्ड के सहयोग से 'घर बैठे वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं। इसके लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ 21 मई, 2023 को किया गया और इसका उद्घाटन 12 जुलाई, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों से किया गया, जिसमें पंचमहल और बनासकांठा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के धारकों को यह कार्ड सौंपे गए। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 जनवरी, 2024 को सनदार डेयरी कॉम्प्लेक्स, बनासकांठा से "सहकारिताओं के बीच सहयोग" नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया था। अब यह पायलट प्रोजेक्ट गुजरात राज्य के सभी डीसीसीबी और देश भर के अन्य डीसीसीबी द्वारा लागू किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात राज्य में 5,582 से अधिक नई बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किये जा चुके है।

13.सहकारी समिति के सदस्यों को **Rupay** किसान क्रेडिट कार्ड

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुँच तथा क्षमता का विस्तार करने तथा ग्रामीण सहकारी समिति के सदस्यों को यथावश्यक चल निधि उपलब्ध कराने हेतु गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत सहकारी समितियों के सभी सदस्यों के बैंक खाते संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में खोले जा रहे हैं तथा खाताधारकों को नाबार्ड के सहयोग से Rupay किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरित किए जा रहे हैं। Rupay किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहकारी समिति के सदस्यों को उचित दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। सदस्य इस कार्ड का प्रयोग अन्य वित्तीय भुगतान के लिए भी कर सकेंगे। 15 जनवरी 2024 को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बनासकांठा के सनादर डेयरी कॉम्प्लेक्स से "सहकारिता में सहकार" नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत, पायलट प्रोजेक्ट को गुजरात राज्य के सभी डीसीसीबी और देश भर के अन्य डीसीसीबी द्वारा लागू किया जाएगा। इस

अभियान के तहत गुजरात राज्य में अब तक लगभग 1,10,000 से अधिक रुपे केसीसी वितरित किए जा चुके हैं।

14.पानी समिति के रूप में पैक्स

पैक्स की ग्रामीण क्षेत्रो में गहरी पहुँच का उचित उपयोग करने हेतु सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पैक्स को भी पानी समिति के रूप में पाइप्ड जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव (O&M) का कार्य करने हेतु पात्र बनाने के लिए राज्यों को पत्र लिखा गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में, जल आपूर्ति योजनाओं के O&M का कार्य सुदृढ़ होगा तथा पैक्स को रोजगार के नये अवसर भी मिलेंगे। इस पहल के तहत अब तक 14 राज्यों में 937 पैक्स चयनित/ चिह्नित किए जा चुके हैं; अन्य प्रक्रिया में हैं।

15.पैक्स स्तर पर **PM-KUSUM** योजना का अभिसरण

PACS की गहरी पहुँच, जिनसे 13 करोड़ से अधिक किसान बतौर सदस्य जुड़े हैं, का लाभ पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इससे, पैक्स से जुड़े किसान अपनी उर्जा-सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। साथ ही, पैक्स व उनके सदस्य किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोत प्राप्त होंगे। इस विषय पर सहकारिता मंत्रालय की नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के साथ चर्चा जारी है।

16.मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन **(**एफएफपीओ**)**

मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु, एनसीडीसी द्वारा प्रारम्भिक चरण में 70 एफएफपीओ का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को एफएफपीओ में बदलने का कार्य सौंपा है।

(ख) राष्ट्रीय स्तर की तीन नई बहु राज्यीय सहकारी समितियाँ

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मंत्रालय ने निर्यात**,** प्रमाणित बीजों और आर्गेनिक उत्पादों के लिए तीन नई बहु राज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया**।**

17.निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु**-**राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी है जो सहकारी क्षेत्र से

किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगी । प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियां जिसमे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। इस समिति से किसानों के उत्पादों का निर्यात सुलभ होगा एवं उनको उत्पादों के लिये मिलने वाले मूल्य में वृद्धि होगी। इस समिति का सदस्य बनने के लिए coopexports@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। अब तक, लगभग 6,377 पैक्स/सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन चुकी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को पूसा, नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ । हैं। एनसीईएल द्वारा कुल 11,62,728 मीट्रिक टन वस्तुओं का निर्यात किया गया है जिसका निर्यात मूल्य 4,581.7 करोड़ रुपये है। इनमें से 11,39,944 मीट्रिक टन चावल, 7,685 मीट्रिक टन प्याज, 11,858 मीट्रिक टन चीनी, 1025 मीट्रिक टन गेहूं, 24.5 मीट्रिक टन जीरा और 2,500 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया गया है।

18.प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी । राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियां (प्राथमिक, जिला व राज्य स्तर) भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्य बन सकती हैं । इस समिति से किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी, फसलों की उत्पादकता एवं किसान को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी। इस समिति का सदस्य बनने के लिए coopbeej@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। BBSSL ने अब तक रबी सीजन (2023-24) के दौरान 960 एकड़ भूमि पर गेहूं, सरसों और दलहन (चना, मटर) के ब्रीडर बीजों का रोपण किया हैं। इसी प्रकार, खरीफ सीजन के दौरान 148.26 हेक्टेयर भूमि में धान, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार और ग्वार के ब्रीडर ब्रीडर बीजों का रोपण किया हैं। अब तक 14,816 पैक्स/सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन चुकी हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारम्परिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ।

19.जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन का कार्य करेगी । प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु राज्य सहकारी समितियां भी शामिल हैं, तथा किसान उत्पादक संगठन (FPO) इसके सदस्य बन सकते हैं । इससे जैविक उत्पादों का उत्पादन बढेगा एवं किसानों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी । इस समिति का सदस्य बनने के लिए cooporganics@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है । अब तक 4,757 पैक्स/सहकारी समितियां एनसीओएल की सदस्य बन चुकी हैं। एनसीओएल ने 'भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड' के तहत 13 उत्पाद यानी अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल धुली, मूंग दाल छिलका, मूंग दाल स्प्लिट, मसूर साबुत, मसूर मलका, उड़द, उड़द स्प्लिट, राजमा चित्रा, काबुली चना, ब्राउन चना, और गेहूं का आटा लॉन्च किया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 08 नवंबर, 2023 को पूसा, नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ।

(ग) सहकारी समितियों के लिये आयकर कानून में राहत

20.सहकारी समितियों के लिएआयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कोआपरेटिव को कंपनियों के समान लाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बड़ा कार्य किया है। 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर लगने वाले अधिभार को कंपनियों के समतुल्य 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों के ऊपर आयकर के भार में कमी होगी जिससे समिति के पास सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी ।

21.सहकारी समितियों पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर **(MAT)** में कटौती

सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है । इससे सहकारी समितियां सशक्त होंगी एवं सहकारिता का विस्तार होगा ।

22.पैक्स और **PCARDBs** द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी

पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दी गई है। इस प्रावधान से उनकी गतिविधियों में सुगमता आएगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा तथा सदस्यों को लाभ मिलेगा ।

23.नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती

31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगेगा । इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है । इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा मिलेगा।

24.नगद निकासी में स्रोत पर कर कटौती **(TDS)** की सीमा में वृद्धि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कटने वाले कर में बचत होगी जिसका उपयोग वे अपने सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु कर पाएंगे।

25.आयकर अधिनियम की धारा **269ST** के तहत नगद लेनदेन में राहत

पहले आयकर विभाग द्वारा, दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किए गए अनुबंध को एक घटना (event) मानते हुए उस डिस्ट्रीब्यूटर से दुग्ध समिति द्वारा पूरे साल भर में प्राप्त दो लाख से अधिक की नकद प्राप्ति पर धारा 269ST के तहत आयकर पेनाल्टी लगा दिया जाता था। इस स्पष्टीकरण के बाद दुग्ध सहकारी समितियों का उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किए अनुबंध को एक घटना (event) नही माना जायेगा और दुग्ध समिति द्वारा उस डिस्ट्रिब्यूटर से हर लेन-देन को अलग घटना मानकर उस प्रत्येक लेन -देन से दो लाख की नगद प्राप्ति पर आयकर कानून के तहत जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। सहकारी समितियों को अब अपने वितरकों के साथ किए गए 2 लाख से अधिक के नगद लेन -देन के लिए पेनल्टी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे राज्य व जिला दुग्ध संघ, बैंकों में अवकाश के दौरान अपने वितरकों से नकद में भुगतान लेकर सदस्य दुग्ध उत्पादकों को नगद में भुगतान कर पायेंगे।

(घ) सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण

26. सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इससे केंद्रीय पंजीयक कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन और सेवा अनुरोधों की प्रोसेसिंग करने में सहायता मिलेगी। इसमें ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, VC के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के प्रावधान हैं। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा इस डिजिटल पोर्टल का उदघाटन 06 अगस्त, 2023 को किया गया।

27.बहुराज्य सहकारी सोसाइटी **(**संशोधन**)** अधिनियम**, 2023**

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने, इत्यादि के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करता है। उक्त विधेयक को लोक सभा में दिनांक 7 दिसम्बर 2022 को पुर:स्थापित किया गया था जिसे दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित किया गया। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 25 जुलाई, 2023 एवं राज्यसभा द्वारा 01 अगस्त, 2023 को पारित किया गया। 3 अगस्त, 2023 से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो गया है।

(ङ) सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान

28.सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत

सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस प्रावधान से सहकारी चीनी मिलें अपने सदस्यों को गन्ने का उच्चतर मूल्य दे सकेंगी और इस उच्चतर मूल्य के खर्च पर आयकर से कटौती हासिल कर पायेंगी। 25.10.2021 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार यह प्रावधान 01.04.2016 से लागू है और तब से सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से उनके सदस्य किसानों को यह लाभ मिल रहा है।

29.सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के अथक प्रयासों से दशकों से लंबित आयकर सम्बन्धी मुद्दों का निवारण करते हुए केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी । इसके लिए आयकर की धारा 155 में एक नई उपधारा 19(1) को सम्मिलित किया गया है । CBDT ने 27.07.2023 को इस सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है । नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, इससे सहकारी चीनी मिलों को 46,524 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है, जिससे दशकों से लंबित आयकर मुद्दों का समाधान हुआ है।

30.सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए **NCDC** के माध्यम से **10,000** करोड़ रुपए की ऋण योजना

सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC को अनुदान सहायता' नाम की एक नई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत भारत सरकार NCDC को रुपए 1,000 करोड़ का अनुदान 500-500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में दे रही है। 500 करोड़ रुपये की पहली किस्त वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त हुई और 500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त होने की संभावना है। NCDC इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को रुपए 10,000 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने के लिए करेगी । जिसका उपयोग सहकारी चीनी मिलें इथेनोल संयंत्र स्थापित करने के लिए या कोजेनेरेशन प्लांट लगाने के लिए या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनो कार्यों के लिए कर पाएंगी । NCDC द्वारा अब तक 58 सहकारी चीनी मिलों के लिए 8040.38 करोड़ रुपए अनुमोदित किए जा चुके हैं ।

31.सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयता एवं कोजेन बिजली संयंत्रो की स्थापना

इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद के लिए निजी कंपनियों के समतुल्य रखा जाएगा । गन्ने की खोई (Bagasse/बगास) से कोजन बिजली संयत्रों की स्थापना पर भी कार्य किया जा रहा है । इन कदमों से सहकारी चीनी मिलों के व्यवसाय का विस्तार होगा एवं लाभ में वृद्धि होगी ।

32.सहकारी चीनी मिलों की सहायता के लिए शीरा पर जीएसटी **28%** से घटाकर **5%** किया गया

सरकार ने शीरा पर जीएसटी मौजूदा 28% से घटा कर 5% करने का निर्णय लिया है। इससे डिस्टिलरीज की लिक्विडिटी में वृद्धि होगी क्योंकि शीरा उनके संचालन के लिए कच्चा माल है। कम जीएसटी के कारण उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी । सहकारी चीनी मिल जिनके पास इथेनॉल अथवा डिस्टिलरी प्लांट नही है वह अपने शीरे को अधिक मार्जिन के साथ डिस्टलरीज को बेंच कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।

(च) सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से सहकारी बैंकों को उनके व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए **।**

33. बिजनेस का विस्तार करने के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएं खोल सकेंगे।

34. सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंको की तरह दिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे।

35. शहरी सहकारी बैंको को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त समय-सीमा दी गई है **।**

36. शहरी सहकारी बैंकों से नियमित संवाद के लिए RBI में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है **।**

37. RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं (door-step banking services) प्रदान करने के अनुमति दी है।

38. RBI द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ाई गई है।

39. ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट - रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे जिससे उनका व्यापार विविधिकरण हो सकेगा।

40. सहकारी बैंकों को CGTMSE के सदस्य ऋणदाता संस्थान [MLI] के रूप में शामिल किया गया है। जिससे अब सदस्य सहकारी बैंक दिए गए ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम (Risk) कवरेज का लाभ ले सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलेटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।

41. सहकारी बैंकों की आधुनिक 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) पर ऑनबोर्डिंग के लिए लाइसेंस शुल्क को लेन-देन की संख्या से जोड़ कर कम कर दिया गया है। इसके अलावा, सहकारी वित्तीय संस्थानों को पहले तीन महीने के प्री-प्रोडक्शन चरण तक निःशुल्क सुविधा भी मिल सकेगी। इससे अब घर बैठे बैंकिंग की सुविधा किसानों को उनके फिंगर प्रिंट पर मिल सकेगी।

42.सरकार द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है

ऐसे शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित' (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा टियर 3 के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि पिछले दो वर्ष तक बनाए रखे हों, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II में शामिल होने और 'अनुसूचित' स्थिति प्राप्त करने के लिए पात्र हो गए हैं। अभी कुल 84 बैंक टियर 3 तथा टियर 4 के रूप में वर्गीकृत हैं।

43. आरबीआई ने बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। ऐसे यूसीबी इसके पात्र होंगे जिन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्य को पूरा कर लिया है।

44. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन

आरबीआई द्वारा नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाईटीज लिमिटेड (नैफकब) को यूसीबी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC) नाम से अम्ब्रेला संगठन (यूओ), की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे लगभग 1,500 UCBs को आवश्यक IT अवसरंचना एवं संचालन में सहायता मिलेगी। आरबीआई ने दिनांक 08.02.2024 के पत्र के माध्यम से अम्ब्रेला संगठन को पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) जारी किया है, जिससे संगठन को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कार्य करने की अनुमति मिल गई है। अम्ब्रेला संगठन ने अपनी वित्तीय गतिविधियां शुरू कर दी हैं। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा 02 मार्च, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में इस अम्ब्रेला संगठन का उद्घाटन किया गया ।

(छ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तर

45. एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों के लिए ऋण की नई योजनाएं

एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार' दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि आरंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, एनसीडीसी ने कुल 60,618.47 करोड़ रुपये की राशि वितरित की और वित्तीय सहायता के वितरण में 48% की वृद्धि हासिल की है। अगले 3 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए ऋण संवितरण का लक्ष्य है । निगम द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 65,345.78 करोड़ रुपये संवितरित किए गए है । सभी राज्य एवं राज्यों की सहकारी समितियां NCDC की ऋण योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। भारत सरकार ने सरकारी गारंटी के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2000 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने के लिए, निर्दिष्ट शर्तों के पालन के अधीन, मंजूरी दी है। अब NCDC अपेक्षाकृत कम दरों पर अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए वितरित कर सकेगा।

46.एनसीडीसी द्वारा गहरे समुद्री ट्रौलरों हेतु वित्तीय सहायता

एनसीडीसी ने गहरे समुद्र में ट्रॉलरों के वित्तपोषण का कार्य शुरू किया है। इसके लिए एनसीडीसी द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायताएँ स्वीकृत की गई हैं जैसे; 20.30 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत पर महाराष्ट्र में 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 11.55 करोड़ रुपये, राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुंबई को 46.74 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत पर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 37.39 करोड़ रुपये, केरल सरकार की एकीकृत मत्स्य पालन विकास परियोजना (आईएफडीपी) के लिए 32.69 करोड़ रुपये एवं एनसीडीसी ने 36.00 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत के साथ 30 गहरे समुद्री ट्रॉलर खरीदने के लिए श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, गुजरात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

(ज) जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल

47. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 जून, 2022 को कैबिनेट द्वारा सहकारी समितियों को गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने का अनुमोदन प्रदान किया है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 09 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग का ई-लॉन्च किया। सहकारी समितियां जेम के एकल प्लेटफॉर्म से देश भर में उपलब्ध लगभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीद कर सकेंगी। अब तक 667 सहकारी समितियों

को जेम पोर्टल पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड कर लिया गया है। इसके साथ ही सहकारी समितियों को जेम पर विक्रेता के रूप में भी पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन सहकारी समितियों द्वारा अब तक, 2,406 लेन-देन हुआ हैं, जिनकी राशि 273.62 करोड़ रुपये है।

(झ) नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस

48.नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की 'सहकार से समृद्धि'की परिकल्पना को साकार करने हेतु माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश में नई सहकारिता नीति बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों तथा देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों सहित 48 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अब तक 17 बैठकें हो चुकी हैं, जिनके दौरान हितधारकों से विस्तृत विचार-विमर्श हुए हैं और नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

49.नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मानना है किसी भी सहकारी क्षेत्र का सुनियोजित विकास करने के लिए एक डेटाबेस आवश्यक है। इसी दिशा में सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, एक व्यापक, प्रमाणिक और अद्यतित राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस विकसित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत पैक्स, डेयरी एवं मात्स्यिकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग का कार्य फरवरी, 2023 में पूर्ण किया गया। द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों व संघों की Mapping का कार्य किया गया। अंतिम चरण में अब तक लगभग 5.38 लाख सहकारी समितियों को डेटाबेस में सम्मिलित किया जा चुका है। इस प्रकार, कुल 8.19 लाख सहकारी समितियों का डेटा एनसीडी पोर्टल पर मैप किया जा चुका है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 8 मार्च, 2024 को पूसा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और RCS/DRCS के समन्वय से डेटा को अपडेट करने का कार्य चल रहा है।

(ञ) सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण

50.सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विचार है कि प्रशिक्षित श्रमबल से ही सहकारिता क्षेत्र का सुनियोजित विकास और सशक्तिकरण हो सकता है और इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की कल्पना की गयी। सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी तैयार की जा रही है। यह विश्वविद्यालय प्रशिक्षित श्रमबल की स्थायी, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ मौजूदा कार्मिकों की क्षमता निर्माण भी करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय होगा।

51.एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT), सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो राज्यों/ केंद्र शासित राज्यों के सहकारी विभागों के कर्मियों सहित देश भर के सहकारी समितियों के कार्मिकों, सदस्यों एवं बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का संचालन यह देश भर में फैले अपने 20 घटक प्रशिक्षण संस्थानों (1 राष्ट्रीय स्तर-वैमनिकॉम, 14 राज्य स्तर एवं 5 क्षेत्रीय स्तर) के माध्यम से करता है। NCCT ने वर्ष 2023-24 में देश में निर्धारित लक्ष्य 1,740 प्रशिक्षण कार्यक्रम की तुलना में 3,619 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अलावा इस अवधि में परिषद ने निर्धारित 43,500 प्रतिभागियों से पांच गुना अधिक यानी लगभग 2,21,478 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

अप्रैल से नवंबर 2024 तक, NCCT द्वारा 2,694 कार्यक्रम आयोजित किए गए है और 2,14,742 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनसीसीटी और इसके संस्थान अनेक पुस्तक समीक्षाएं, केस अध्ययन, प्रबंधन मामले और लेख तैयार करते हैं, जिनमें सहकारी क्षेत्र में ज्ञान विकास और अकादमिक योगदान के प्रति उनकी सतत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जाता है।

(ट) अन्य पहलें

52.सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों **(ARDBs)** का कम्प्यूटरीकरण

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की केंद्र प्रायोजित परियोजना

को मंजूरी दी है। इसमें विभिन्न घटक होंगे जैसे कि हार्डवेयर खरीद, व्यापक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, और सॉफ्टवेयर का रखरखाव, आदि। इस योजना में आने वाले खर्च का 25 प्रतिशत ARDBs द्वारा एवं शेष 75 प्रतिशत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। कंप्यूटरीकरण से ARDBs को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कार्यकुशलता में वृद्धि, त्वरित ऋण संवितरण, लेनदेन दरों में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और भुगतानों के असंतुलनों में कमी इत्यादि। परियोजना के तहत अब तक 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा, हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और समर्थन प्रणाली की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में 8 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को रु. 4.26 करोड़ की भारत सरकार की हिस्सेदारी जारी की गई है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी द्वारा 30 जनवरी, 2024 को पूसा, नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया गया।

53. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों मे सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की योजना

सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी समितियों के लिए व्यापार मे सुगमता बढ़ाने एवं पारदर्शी पेपर रहित विनियमन का एक डिजिटल इकोसिस्टम सभी राज्यों/संघ प्रदेशों मे बनाने के लिए राज्य पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर, संबंधित राज्य/संघ प्रदेश के सहकारी अधिनियम पर आधारित होगा। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा 30 जनवरी, 2024 को पूसा नई दिल्ली में 'सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण' की योजना का शुभारंभ किया गया। अब तक, 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मंत्रालय को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है और 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर खरीद के लिए लगभग 15.20 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी जा चुकी है।

54. श्वेत क्रांति **2.0**

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 नामक एक नई पहल लॉन्च की है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन में सुधार करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में 50% की वृद्धि करना, डेयरी किसानों को अब तक संगठित डेयरी क्षेत्रक द्वारा आच्छादित

न हुए क्षेत्रों में बाजार पहुंच प्रदान करना और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है । सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की सहभागिता से श्वेत क्रांति 2.0 के सफल कार्यान्वयन को मार्गदशित करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर दिनांक 19 सितंबर, 2024 को विमोचित किया ।

55. आत्मनिर्भरता अभियान

सहकारिता मंत्रालय ने आयात निर्भरता घटाने के लिए दलहन (तुअर, मसूर और उड़द) और एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम 2.0 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एथनॉल उत्पादन हेतु मक्का के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की एक पहल लॉन्च की है । इस पहल के तहत राष्ट्रीय सहकारी कृषि उपभोक्ता संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए क्रमश: ईसम्युक्ति (एनसीसीएफ) और ईसमृद्धि (नेफेड) पोर्टल का विकास किया है । सरकार द्वारा तुअर, उड़द और मसूर दलहन के पूर्व-पंजीकृत किसानों के 100% उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की गारंटी दी गई है । इससे किसानों को एक सुरक्षा कवच प्राप्त होता है । तथापि, बाजार मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने पर किसानों को उच्चतर लाभ हेतु अपने उपज को खुले बाजारों में बेचने की आजादी होगी । इसी प्रकार दोनों एजेंसियां खरीफ, जैद और रबी, तीनों मौसम के दौरान मक्का का खरीद कार्य करेंगे, जो एथनॉल डिस्टिलरियों को मक्के की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और साथ ही साथ किसानों को मक्का खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा । आज की स्थिति के अनुसार, एनसीसीएफ के Esamyukti.in पोर्टल पर 15,38,704 किसान और नेफेड के Esamridhi पोर्टल पर 23,91,210 किसान पंजीकृत हो चुके हैं ।

56.सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश में सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लि., सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.) के जमाकर्ताओं के वैध

बकाया संवितरण हेतु सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने हेतु निर्देश दिए।

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में 'केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल' (https://mocrefund.crcs.gov.in) का शुभारंभ किया । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय पंजीयक द्वारा संवितरण के लिए पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली (पोर्टल) को विकसित करने के लिए स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. (SDMSL) की सेवाएं ली गई हैं । जमाकर्ताओ को प्रथम चरण के भुगतान की प्रक्रिया 04 अगस्त, 2023 से प्रारम्भ हो चुकी है । 18.12.2024 तक 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' पर लगभग 1.28 करोड़ आवेदन (88,924 करोड़ रुपये की राशि के साथ 3.64 करोड़ दावे) प्राप्त हुए हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के 9,42,364 जमा कर्ताओं को लगभग 1496.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

क्रियान्वयन प्रक्रिया

1. इन सभी पहलों की जानकारी सहकारिता मंत्रालय की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसके लिए आप https://cooperation.gov.in पर विजिट कर सकते है।
2. मंत्रालय की वैबसाइट एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नीचे दिये गए **QR** कोड को स्कैन करे –

3. माननीय सहकारिता गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मंत्रालय की पहलों के सफल क्रियान्वन हेतु पत्र लिखे गए हैं। सचिव सहकारिता द्वारा भी समय समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को पत्र लिखे गए हैं।
4. राष्ट्रीय स्तर पर सचिव सहकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों, एजेंसीज़ एवं राज्य सरकारों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। अब तक सभी राज्यों के साथ **22** समीक्षा बैठके हो चुकी हैं।
5. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा हेतु राज्य सहकारी विकास समितियां (एससीडीसी) गठित की गईं हैं, जिनमें प्रमुख सचिव (सहकारिता), रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (आरसीएस), नाबार्ड/एनसीडीसी आदि के प्रतिनिधि और सम्बंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।। अब तक राज्य स्तरीय सहकारी विकास समितियों की **52** बैठकें सम्पन्न हो चुकी है।
6. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा हेतु जिला सहकारी विकास समितियों (डीसीडीसी) गठित की गई हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव रजिस्ट्रार्स (डीआरसीएस) और सम्बंधित विभागों के जिला स्तर के अन्य वरिष्ठ

अधिकारी शामिल हैं। अब तक जिला स्तरीय सहकारी विकास समितियों की **1,616** बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं।